From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)
सोहनसिंह बनाम जयपाल वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 03 वर्ष ~~2019~~ 2020 07.01.2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07.01.2020	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। एक पक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 11.02.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1136/8.65है0 वाके ग्राम तिजारा पर प्रश्नगत आराजी में निर्माण कार्य न करें एवं विशिष्ट भू-भाग का बेचान न करें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	

12/2/20 पत्रावली पेश हुई। मजमून फरीकैन उपस्थित
पूर्वादेशानुसार वादी मुआवाद अदालत
दिनांक 3/3/20 को पेश हो।

3/3/20 पत्रावली पेश हुई। मजमून फरीकैन उपस्थित
पूर्वादेशानुसार वादी मुआवाद अदालत पर दो पूर्व से जारी ता अग्रिम अन्तरिम
दिनांक 11/3/20 को पेश हो। प्रतिलिपि बटाई जाती है

30/3/21 पत्रावली आज पेश हुई वादी का वाद अग्रिम आदेश पर विद्यमान खारिज किया जाता है अतः यह प्रार्थना भी खारिज किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)